राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक ऐसा अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत गामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की वैधानिक गारन्टी प्रदान की गई है जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक मजदूरी करने को तैयार हैं । इसके लिये उन्हें राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों को प्रदान की जाने वाली अधिसूचित श्रम मजदूरी प्रदान की जायेगी ।

पंजीकरण।

पंजीकरण हेतु क्या किया जाना आवश्यक है।

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जो कि क्षेत्र का मूल निवासी है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित होना चाहता है, को एक निर्धारित प्रार्थना पत्र पर लिखित अथवा मौखिक रूप से पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
- आवेदन ग्राम पंचायत को करना होगा।
- पंजीकरण की प्रमाणिकता सिद्व करने के लिये पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रार्थी गांव में रहता है एवं बालिग है।
- पंजीकरण पूरे परिवार का होगा।
- पंजीकरण की प्रक्रिया एवं प्रपत्र निशुल्क है।
- प्रमाणिकता के उपरान्त ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करेगी।

क्या नहीं किया जाना चाहिए।

- मौखिक आवेदन अस्वीकृत करना ।
- ऐसे प्रवासी परिवार जो स्थानीय वासी बन चुके हों, को मना करना।
- लिंग जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर अस्वीकृत करना।
- सत्यापन हेतु अत्याधिक समय लेना।

जॉब कार्ड।

जॉब कार्ड एक आधारभूत वैधानिक दस्तावेज है जो कि पंजीकृत परिवारों को सुनिश्चित रोजगार की मांग करने के काबिल बनाता है। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिये मान्य है।

क्या किया जाना आवश्यक है।

- जॉब कार्ड आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जारी करना।
- पारिवारिक जॉब कार्ड में प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का नाम एवं फोटो का होना।
- आवेदकों को जॉब कार्ड एवं फोटो निशुल्क उपलब्ध करवाना।
- जारी किये गये जॉब कार्डो की प्रविष्टी ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड रजिस्टर में सुनिश्चित करना।

क्या नहीं करना चाहिए।

- प्रत्येक व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी करना।
- अवयस्कों के नाम जॉब कार्ड में सम्मिलित करना।
- जॉब कार्ड की कीमत लेना।
- लाभार्थी से फोटो के पैसे बसूल करना ।
- कार्य स्थलों पर जॉब कार्ड जारी करना।

रोजगार आवेदन एवं आवंटन

क्या किया जाना चाहिए

- रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदक को लिखित आवेदन ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड स्तर) को करना चाहिए।
- ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को दिनांक सहित रसीद जारी करनी चाहिए।
- एक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा।
- कम से कम 14 दिन के लगातार काम की मांग करनी होगी।
- 100 दिन के कार्य की हकदारी परिवार के भीतर बांटी जा सकती है। परिवार के एक से ज्यादा सदस्य साथ-2 अथवा अलग-2 समय पर कार्य पर लगाये जा सकते हैं।
- ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को पत्र द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि वे कब और कहां कार्य हेतु उपस्थित हों।
- ग्राम पंचायत एवं कार्यकारी अधिकारी के खण्ड कार्यालय पर सार्वजनिक सूचना लगाई जानी चाहिए जिसमें कार्य स्थल, कार्य प्रदान करने की तिथि एवं जिन्हें कार्य प्रदान किया गया है के नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

- यदि आवेदन करने के 15 दिन के भीतर अथवा जिस दिन से कार्य की मांग की गई हो, जो भी बाद में हो, के अन्दर आवेदक को कार्य उपलब्ध नहीं होता तो उसे अधिनियम के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- यदि आवेदक रोजगार उपलब्ध करने की तिथि के 15 दिन के भीतर कार्य हेतु उपस्थित नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा। यद्यपि आवेदक काम के लिये दुबारा आवेदन कर सकता है।
- रोजगार हेतु आवेदनों की प्रविष्टी ग्राम पंचायत के रोजगार रजिस्टर में की जानी चाहिए।
- महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

<u>क्या नहीं किया जाना चाहिए</u>

- रोजगार हेतु आवेदनों का पंजीकरण नहीं करना।
- कार्य आवंटन में देरी करना। इससे राज्य के अपने वित्तीय संसाधनों पर बेरोजगारी भत्ते का अतिरिक्त भार पढ़ेगा।

<u>योजना की प्रक्रिया।</u>

<u>क्या किया जाना चाहिए</u>

- ग्राम सभा को योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए एवं कार्यो की पहचान, संस्तुति एवं अनुमोदन करना।
- जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य सूचि भौतिक तकनीकी एवं वित्तीय विवरण सहित ग्राम पंचायत में प्रदर्शित करनी चाहिए।
- परिसम्पति रजिस्टर का संधारण ग्राम पंचायत में प्रत्येक कार्य की विशिष्ट संख्या सहित करना ताकि डुप्लीकेशन न हो सके।
- तकनीकी प्राकलन कार्य स्थल पर साधारण स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किये जाने चाहिए।
- क्रियान्वयन संस्था द्वारा स्थानीय सतर्कता समिति को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- सभा द्वारा लेबर बजट हेतु लेबर की मात्रा तथा ऋतुओं के अनुसार लेबर का अनुमान लगाना चाहिए।
- ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की सिफारिशों का एकत्रीकरण करके कार्यो की सूची कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए।
- ग्राम सभा को वे कार्य चिन्हित करने चाहिए, जिन्हे वे करवाना चाहती हैं।
- कम से कम 50 प्रतिशत कार्य पंचायतों द्वारा किये जाने चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित स्वीकार्य कार्य किये जा सकते हैं:-

- जल संरक्षण एवं जल संचय।
- सूखे से बचाव के लिये वृक्षारोपण और वन संरक्षण।
- सिंचाई के लिये सूक्षम एवं लघू सिंचाई परियोजनाओं सहित नैहरो का निर्माण।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सूधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास सुविधा का प्रबन्ध।
- परंपरागत जल स्त्रोतों के पूनर्नवीकरण हेतु जलाश्यों से गाद की निकासी।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनायें, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
- गांवों में सड़को का जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलियां भी बनाई जा सकती है और गांव के भीतर सड़कों के साथ-2 नालियां भी बनाई जा सकती है।

<u>क्या नहीं किया जाना चाहिए।</u>

- ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाना।
- योजना से सम्बन्धित गलत रिकार्ड रखना।

- ग्राम सभा द्वारा कार्य योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं को पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा बदलना। (यद्यपि पंचायत समिति और जिला परिषद एक से अधिक पंचायतों में तथा एक से अधिक विकास खण्डों में किये जाने वाले कार्यो को कार्य योजना में जोड़ सकती है)
- कार्य निष्पादन में मशीनों का उपयोग।
- योजना के अन्तर्गत अस्वीकार्य कार्यो को करना।

कार्यो का निष्पादन एवं मजदूरी भूगतान।

क्या करना चाहिए।

- केवल जाबॅ कार्ड धारकों को ही कार्य पर लगाना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा क्रमांकित मस्ट्रोल जारी करना।
- मस्ट्रोल पर काम करने वाले का जॉबा कार्ड नम्बर अंकित करना।
- निष्पादित एजेन्सी द्वारा मस्ट्रोल का रख रखाब।
- कार्य स्थल पर नियमित माप करते समय मस्ट्रोल का पढ़ना ताकि गल्त रिकार्ड एवं निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान को रोका जा सके।
- तकनीकी कर्मचारियों द्वारा काम का नियमित माप तथा देख रेख करना।
- कार्य के माप को माप पुस्तिका में दर्ज करना।
- कार्य स्थल पर चिकित्सकीय सहायता, पीने के पानी, छाया और अगर छः साल से कम उमर के पांच या उससे ज्यादा बच्चें है तो बालवाड़ी की व्यवस्था करना तथा बच्चों की देखभाल के लिये एक औरत को काम पर रखना।
- मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर वेतन पाने का अधिकार होगा परन्तु किसी भी सूरत में वेतन भुगतान में 15 दिन से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए।

क्या नहीं करना चाहिए।

- गल्त नामों के मस्ट्रोल भरना।
- कच्चे मस्ट्रोल भरना।
- अव्यस्क को काम पर लगाना।